



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (1)  
PART II—Section 3—Sub-section (1)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 168] नई दिल्ली, सोमवार, मई 31, 1982/ज्येष्ठ 10, 1904  
No. 168 NEW DELHI, MONDAY, MAY 31, 1982/JYAISTHA 10, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके  
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मई, 1982

सांकांमि० 441(अ).—केन्द्रीय सरकार, महापत्तन न्याय (संगोघन) अधिनियम, 1982  
(1982 का 17) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रबल शक्तियों का प्रयोग करते हुए  
इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि को वह तिथि नियुक्त करती है  
जिससे उक्त अधिनियम लागू होगा।

[सं० पी० डब्ल्यू०/पी०जी०एल०-31/81]

दि० कु० जैन, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT****(Ports Wing)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 31st May, 1982

**G.S.R. 441(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Major Port Trusts (Amendment) Act, 1982 (17 of 1982), the Central Government appoints the date of publication of this notification in the Official Gazette as the date on which the said Act shall come into force.

[PW/PGL-31/81]

**D. K. JAIN, Jt. Secy.**